न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 32/2018 (उदयपुर डिक्री)

1. भगवतीलाल पिता नारायणलाल ब्राहमण, निवासी भीण्डर, तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर (राज.)
2. रमेश पिता नारायणलाल ब्राहमण, निवासी भीण्डर, तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. वरदीशंकर उर्फ वरदीचन्द पिता मोहनलाल ब्राहमण, निवासी भीण्डर, तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर (राज.)
2. भंवरलाल पिता मोहनलाल ब्राहमण, निवासी भीण्डर, तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर (राज.)
3. नारायणलाल (मृतक) के बजाय :–

2/1. श्रीमती मांगीबाई पुत्री नारायणलाल ब्राहमण, निवासी भीण्डर, तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर (राज.)

2/2. श्रीमती कमलाबाई पुत्री नारायणलाल ब्राहमण, निवासी भीण्डर, तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर (राज.)

2/3. श्रीमती रतनबाई पुत्री नारायणलाल ब्राहमण, निवासी भीण्डर, तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर (राज.)

2/4. श्रीमती सुशीलाबाई पुत्री नारायणलाल ब्राहमण, निवासी भीण्डर, तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर (राज.)

4. मिठालाल पिता लुम्बा (मृतक) के बजाय :–

3/1. भगवतीलाल पिता मिठालाल (मृतक) के बजाय :–

3/1/1. श्रीमती कमला देवी पत्नी भगवतीलाल ब्राहमण, निवासी भीण्डर हाल मुकाम हिरण मगरी, मकान नंबर 6, मयूर काम्पलेक्स, भाग्यश्री गार्डन के पीछे, उदयपुर (राज)

3/1/2. महेशचन्द्र पिता भगवतीलाल ब्राहमण, निवासी भीण्डर हाल मुकाम बीसी डब्ल्यु, विरला सीमेन्ट वर्क्स, भीलवाड़ा रोड़, चन्देरिया, चित्तौड़गढ़ (राज)

3/1/3. कैलाशचन्द्र पिता भगवतीलाल ब्राहमण, निवासी भीण्डर हाल मुकाम हिरण मगरी, मकान नंबर 6, मयूर काम्पलेक्स, भाग्यश्री गार्डन के पीछे, उदयपुर (राज)

3/1/4. गोपाल पिता भगवतीलाल ब्राहमण, निवासी भीण्डर हाल नारकोटिक्स विभाग, नीचम (मध्य प्रदेश)

3/2. बद्रीलाल पिता मिठालाल (मृतक) के बजाय :–

3/2/1. शिवकुमार पिता बद्रीलाल उपाध्याय ब्राहमण, निवासी भीण्डर हाल मुकाम मकान नं॰ 812, केशवनगर, गीतान्जली हाऊस, उदयपुर (राज)

3/2/2. श्रीमती मधुबाला पुत्री बद्रीलाल पत्नी राजेन्द्र कुमार चौबीसा, निवासी 17, सी ब्लाक, प्रेमनगर, उदयपुर (राज)

3/2/3. श्रीमती कृष्णा पुत्री बद्रीलाल पत्नी लोकेश चौबीसा ब्राहमण, निवासी 13, बोहरा गणेश मार्ग, उदयपुर (राज)

3/2/4. श्रीमती रेखा पुत्री बद्रीलाल पत्नी मुकेश चौबीसा ब्राहमण, निवासी 435, हिरण मगरी सेक्टर नंबर 4, उदयपुर (राज)

5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीण्डर, जिला उदयपुर (राज.)

6. श्रीमती बबलीबाई पुत्री मिठालाल पत्नी रामनारायण ब्राहमण, निवासी भीण्डर, तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर (राज.)

7. श्रीमती चन्द्रीबाई पुत्री मिठालाल पत्नी रामनारायण ब्राहमण, निवासी भीण्डर, तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर (राज.)

..... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा – 223 राजस्थान
का0 अ0 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री
सहायक कलक्टर फास्टट्रेक वल्लभनगर
दिनांक 22–01–2018 प्र.सं. 173/2013

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1. श्री संजय कोठारी अभिभाषक अपीलान्टगण
2. श्री कमलेश चौहान अभिभाषक रे0 सं0 1, 2
3. श्री महेश भट्ट अभिभाषक रे.सं. 3-2/1 से 3-2/4
4. श्री मदन मेघवाल अभिभाषक रेस्पो0 सं0 6, 7
5. श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक रे. सं. 5

निर्णय दिनांक 24–10–2018

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 वरदीशंकर द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 भंवरलाल, प्रतिवादी संख्या 2 नारायणलाल एवं प्रतिवादी संख्या 3 मीठालाल के विरूद्ध मौजा भीण्डर स्थित वाद पत्र की कलम संख्या 1 वर्णित कृषि आराजियात कुल किता 4 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा भूमि के विभाजन का वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया वाद वर्णित भूमियों में वादी का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 3 का 1/2 हिस्सा है एवं इसी अनुसार मौके पर काबिज हैं। अतएवं उपरोक्तानुसार विधिवत विभाजन किया जावे।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के सम्मन तामिल होने के बावजूद अधिनस्थ न्यायलय में उसके अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध दिनांक 12–09–1989 को एकतरफा कार्यवाही की गयी।

प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा खण्डन का जवाबदावा मय काउण्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व रेकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम गलत अंकित है। वस्तु स्थिति इस प्रकार है कि विवादित आराजी नंबर 3021, 3022 व 3033 तीनों पूर्व में हुक्मीचन्द पिता हीरा जी तथा चुन्नीलाल पिता किशोर जी ब्राहमण के खातेदारी की थी एवं इन लोगों के पूर्वज श्री लखमीराम, हीराजी, किशोरजी व हुकमीचन्द जी ने इस भूमि को संवत् 1957 के सावण विद 9 को 341/– रूपये में रणछोड़ जी, कालू जी, लक्ष्मण जी, अम्बाशंकर, मथरालाल जी, नाथूलाल जी ब्राहमण निवासी भीण्डर के यहां रहन बिल कब्ज थी। इस भूमि को संवत् 2004 मगसर सुदी 11 को मुझ प्रतिवादी संख्या 3 मीठालाल ने रहन से बागुजास्त नारायणलाल प्रतिवादी की सामलात से बागुजास्त करायी और पुनः 345/– रूपये में यह भूमि रहन बिल कब्ज की गयी। तब से यानी संवत् 2004 से प्रतिवादी संख्या 3 उक्त भूमि पर काबिज चला आ रहा है एवं कानूनन खातेदार बन चुका है। वादी वरदीशंकर एवं प्रतिवादी संख्या 1 भंवरलाल के पिता मोहनलाल ने विवादित भूमि में अपना 1/4 हिस्सा मय चाह नंबर 2996 के मुझ प्रतिवादी मीठालाल को संवत् 2017 को 95/– रूपये में विक्रय कर दिया, तब से प्रतिवादी मीठालाल काबिज चला आ रहा है, सिर्फ राजस्व रेकार्ड में

रद्दोबदल नहीं हाने से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/4 हिस्सा अंकित रह गया, जिससे झूठा वाद प्रस्तुत किया है। इसी तरह चुन्नीलाल पिता किशोर का 1/2 हिस्सा था जिस पर रहन की हैसियत संवत् 2004 से लगातार मेरा कब्जा चला आ रहा है, किन्तु संवत् 2023 दिनांक 19–07–67 को चुन्नीलाल जी ने मेरे पक्ष में पंजीकृत बेहनामा लिख दिया, जिससे उनका 1/2 हिस्सा मेरे खाते में दर्ज हो गया। विवादित भूमि में प्रतिवादी नंबर 2 नारायण का 1/4 हिस्सा था, जिसका बेहनामा नारायण जी द्वारा संवत् 2030 को 99/– रूपये में मेरे पक्ष में निष्पादित कर दिया गया और मुझे इस भूमि का खातेदार कृषक बना दिया। विवादित भूमियां चाह नंबर 2996 से पीवल होती है। इस चाह में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता एवं प्रतिवादी संख्या से खरीदने के बाद इस चाह का दाबड़ा बंधाया, जिसका खर्चा 111/– रूपये एवं भीत बंधाई के 135/– रूपये कुल 266/– रूपये भी मुझ प्रतिवादी ने ही दिया। दाबड़े के नीचे शिलालेख खुदा हुआ है जिसमें विजावत एवं उपाध्याय लिखा है। संवत् 2031 में विवादित भूमि के उत्तर दिशा में पत्थर के कोट का 3032/– रूपया तथा दक्षिण दिशा में कांटेदार के 2857/– रूपये भी मुझ प्रतिवादी द्वारा खर्च किये गये। इस प्रकार सभी हिस्सेदारान अपने हिस्से की भूमियां मुझ प्रतिवादी को विक्रय कर चुके हैं, जिससे मैं उक्त भूमियों का स्वामी व अधिपत्यधारी बन गया। अतएवं काउण्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमियां का मुझ प्रतिवादी मीठालाल को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

उक्त काउण्टर क्लेम का जवाब वादी द्वारा देते हुए निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा वर्णित तथ्य गलत हैं। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता द्वारा कभी भी उनका 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 को विक्रय नहीं किया गया इसलिए उनके हिस्से की भूमि पर प्रतिवादी संख्या 3 के कब्जे का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रतिवादी संख्या 3 को काउण्टर क्लेम के लिए कोई कॉज ऑफ एक्शन पैदा नहीं हुआ। मात्र इसी आधार पर प्रतिवादी का काउण्टर क्लेम खारिज योग्य है।

प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्लीडिंग्स के आधार पर दिनांक 03–02–1992 को निम्नानुसार 4 तनकियात कायम की गयी :–

1. आया वाद पत्र की कलम नंबर 1 में वर्णित आराजियात का जरिये कमिश्नर बंटवारा करा अपने हिस्से का स्वतंत्र आधिपत्य प्राप्त

कर राजस्व अभिलेखों में अपना हिस्सा अपने नाम कराने का अधिकारी है ? ..... वादी

2. आया वाद की कलम संख्या 1 में वर्णित आराजियात का प्रतिवादी संख्या 3 खातेदार काश्तकार होने से अपने नाम घोषित कराने का अधिकारी है ? ..... प्रतिवादी

3. आया प्रतिवादी संख्या 3 का काउण्टर क्लेम बिना वाद हेतुक के है जिससे काउण्टर क्लेम खारिज योग्य है ? ..... वादी

4. दादरसी ?

प्रकरण में दौराने कार्यवाही प्रतिवादी संख्या 3 मीठालाल की मृत्यु हो जाने से दिनांक 06–08–1996 को उसके कायम मुकाम संस्थित किये गये। प्रकरण में दिनांक 15–07–1997 को प्रतिवादी संख्या 1 भंवरलाल ने हाजिर होकर दोतरफा कार्यवाही किये जाने का आवेदन पेश किया तथा एकबाली जवाब पेश किया जो शामिल फाईल हुआ। प्रतिवादी संख्या 3 मीठालाल के वारिसान की ओर से उनके अधिवक्ता उपस्थित हुए।

प्रकरण सितम्बर 1988 में वाद दायर हुआ है। प्रकरण में वादी की ओर से कुल 3 गवाह पी.डब्ल्यू. 1 से पी.डब्ल्यू. 3 के बयान दिनांक 21–11–2005 को पूर्ण हुए। प्रकरण में प्रतिवादी की ओर से कुल 5 गवाहों के बयान करवाये गये। प्रकरण में दिनांक 12–02–2007 को यह प्रकट आया कि प्रतिवादी संख्या 2 नारायण का निधन हो चुका है। अतएवं वारिसान कायम करावें। प्रकरण में दिनांक 23–04–2007 वादी द्वारा कायम मुकाम का आवेदन पेश किया गया, जिस पर प्रतिवादी की कोई आपत्ति नहीं होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया।

प्रकरण प्रतिवादी संख्या 2 नारायण की तलबी में चल रहा था इसी दौरान किसी अन्य आवेदन पर भी प्रकरण बहस में चल रहा था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30–03–2009 को वादी का वाद अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया, जिसकी बाजदायरी में पुनः प्रकरण दिनांक 10–08–2009 को दर्ज हुआ एवं दिनांक 25–11–2009 की आदेशिका अनुसार वारिसान के सम्मन के लिए प्रकरण विचाराधीन था। इसी दौरान प्रतिवादी मगनी की मृत्यु हो जाने से उसके कायम प्रकरण पर प्रकरण विचाराधीन रहा।

प्रकरण में दिनांक 05–05–2010 को प्रतिवादी संख्या 3/2 से 3/4 के वारिसान की ओर से आदेश 18 नियम 17 एवं आदेश 8 नियम 1 A (3) जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में पत्रावली प्रतिवादी के वारिसान की तलबी में विचाराधीन रही। प्रकरण में दिनांक 20–12–2017 को प्रतिवादी संख्या 3/2 के अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि श्री बद्रीलाल चौबीसा तथा उसकी पत्नी गीतादेवी उत्तराखण्ड त्रासदी में लापता हो चुके है अब तलबी की आवश्यकता नहीं रही।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आवेदन पर दिनांक 22–01–2018 को प्रतिवादी संख्या 3/2 के वारिसान पर निर्णय किया जाकर प्रकरण में वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की आराजियात को प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा क्रय कर लिये जाने के कारण वादी का वाद सारहीन होने से खारिज कर दिया तथा प्रतिवादी संख्या 3 के काउण्टर क्लेम को स्वीकार कर डिक्री जारी की।

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 22–01–2018 से रूष्ट होकर प्रतिवादी संख्या 2 नारायणलाल के वारिसान अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 22–03–2018 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से वकील श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3–2/1 से 3–2/4 की ओर से वकील श्री महेश भट्ट उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 के अन्य वारिसान वाबजूद सूचना अनुपस्थित रहे। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 व 7 की ओर से वकील श्री मदन मेघवाल उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 सरकार की ओर से औपचारिक पक्षकार राजकीय अभिभाषक श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट ने प्रमुख उजर यह लिया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना तलब किये, बिना नोटिस जारी किये, बिना सुने एवं बिना दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किये निर्णय पारित करने में भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी भी कायम नहीं की गयी है एवं रेस्पोन्डेन्ट को लाभ पहुंचाने की गरज से उनका काउण्टर क्लेम स्वीकार किया है। आदेश 22 नियम 4 की प्रति वादी को उपलब्ध नहीं करायी गयी, न ही उन्हें जवाब का अवसर दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय में जो दस्तावेज मीठालाल की ओर से प्रस्तुत किये गये वह अनरजिस्टर्ड एवं अनस्टाम्प्ड होने से किसी भी सूरत में ग्राह्य नहीं किया जा सकता। प्रतिवादी संख्या 2 नारायणलाल की मृत्यु हो जाने पर वादी वरदीशंकर की ओर से अधिनस्थ न्यायालय आदेश 22 नियम 4 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसके बाद पत्रावली नारायणलाल की तलबी में चल रही थी, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने नारायणलाल के वारिसान को किसी प्रकार की सूचना दिये बिना एवं उन्हें सुने बिना निर्णय पारित कर दिया। अपीलान्ट की बहनें जो प्रतिवादी संख्या 2/4 से 2/7 हैं, ने रजिस्टर्ड हक त्याग अपने भाईयों के पक्ष में कर दिया है, जिससे उनका हिस्सा व कब्जा नहीं रहा एवं भूमि नामान्तरकरण से अपीलान्ट के नाम दर्ज हो गयी। अपीलान्ट पटवार मण्डल नकल लेने गये तो पता चला कि उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 3 मीठालाल के वारिसों के नाम गलत दर्ज हो गयी है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व रेकार्ड का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया तो यह पाया कि प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 वरदीशंकर द्वारा विभाजन का वाद प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपना हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 मीठालाल के पक्ष में विक्रय कर दिये जाने से प्रतिवादी संख्या 3 का काउण्टर क्लेम स्वीकार किया गया है। प्रकरण में मूलतः विवाद प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के मध्य ही विचाराधीन रहा, क्योंकि वादी वरदीशंकर एवं प्रतिवादी संख्या 1 भंवरलाल का जो 1/4 हिस्सा था वह उनके द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 मीठालाल को विक्रय किया जा चुका था, तद्नुसार प्रकरण में वादी को विभाजन की राहत नहीं दी जा सकती। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली अनुसार प्रतिवादी संख्या 2 नारायणलाल जिसके वारिसान अपीलान्ट हैं, उन्हें अधिनस्थ न्यायालय द्वारा

नोटिस जारी किये जाने पर उसकी विधिक तामिल दिनांक 12–09–1989 के लिए होकर उक्त दिनांक को प्रतिवादी संख्या 2 नारायणलाल के उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जा चुके हैं। अर्थात प्रकरण में अपीलान्ट के पूर्वज के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश किये जा चुके हैं। वकील रेस्पोन्डेन्ट का यह प्रमुख कथन रहा है तथा यदि कोई पक्षकार सम्मन जारी होने के बावजूद न्यायालय में उपस्थित नहीं हो तो यह माना जाना चाहिए कि उनका विवादित भूमि से कोई सरोकार नहीं है। तद्नुसार नारायणलाल द्वारा स्वेच्छा पूर्वक इस भूमि में उनका हक नहीं होने की अप्रत्यक्ष अभिस्वीकृति मानी जायेगी। दौराने कार्यवाही नारायणलाल की मृत्यु हो जाने के बाद यदि उसके कायम मुकाम को संस्थित किये जाने का आवेदन भी लम्बित था तो भी आदेश 22 नियम 4 (4) के अनुसार उसके वारिसान को तलब किये जाने की आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि जब उनके पूर्वज द्वारा प्रकरण में अनुपस्थित रहकर विवादित भूमि से अपनी असम्बन्धता प्रकट कर दी गयी है तो फिर पुनः उसके वारिसान को अपने मूल पुरूष से ज्यादा का अधिकारी नहीं माना जा सकता। प्रकरण में हालांकि यह सुस्पष्ट है कि नारायणलाल की मृत्यु के बाद कायम मुकाम का आवेदन प्रस्तुत होकर उसके कायम मुकाम की तलबी में प्रकरण लम्बित था। प्रकरण में वकील अपीलान्ट का यह कथन है कि उन्हें कायम मुकाम के रूप में संस्थित किया जाकर उन्हें सूचित नहीं किया गया है, इसलिए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय व डिक्री जारी की गयी है वह उन्हें बिना सूचित किये एवं बिना सुने जारी की गयी है। इसके विपरीत रेस्पोन्डेन्ट का कथन है कि आदेश 22 नियम 4 (4) नारायणलाल के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही हो जाने के बाद उन्हें पुनः तलब किये जाने की कोई आवश्यकता एवं उपादेयता नहीं थी।

उपरोक्तानुसार किये गये विवेचन अनुसार हम इस प्रकरण में यह पाते हैं कि हालांकि प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 2 नारायणलाल के कायम मुकाम का आवेदन लम्बित था, परन्तु वर्ष 1989 में नारायणलाल के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही होने के बाद उसके कायम मुकाम की आदेश 22 नियम 4 (4) के तहत संस्थित किये जाने की कोई विधिक अनिवार्यता नहीं थी। प्रकरण में मूल विवाद जिनकी ओर से दर्ज करवाया गया था वह वादी वरदीशंकर व प्रतिवादी संख्या 1 के 1/4 हिस्से के लिए था, जिनके द्वारा

अपना 1/4 हिस्सा काउण्टर क्लेमकर्ता प्रतिवादी संख्या 3 मीठालाल के पक्ष में किया जा चुका था। अर्थात प्रकरण में वादी वरदीशंकर द्वारा जो दाद चाही गयी थी, परन्तु दौराने वाद कार्यवाही वादी व प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपना 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष में विक्रय कर दिये जाने के बाद सिर्फ रेकार्ड में प्रतिवादी संख्या 2 नारायणलाल का जो राजस्व रेकार्ड में 1/4 हिस्सा था तथा प्रतिवादी संख्या 3 का पूर्व से ही 1/2 हिस्सा एवं वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 1/4 हिस्सा क्रय कर लिये जाने से प्रतिवादी संख्या 3 मीठालाल का 3/4 हिस्सा व नारायणलाल का जो 1/4 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज था, उसी पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कार्यवाही किया जाना विचारणीय रहता था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 के काउण्टर क्लेम के सन्दर्भ में बहस सुनकर निर्णय किया जाना वांछनीय था, क्योंकि हमारे द्वारा जैसाकि उपर विवेचन किया जा चुका है कि आदेश 22 नियम 4 (4) के तहत प्रतिवादी संख्या 2 नारायणलाल के वारिसान को नारायणलाल के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही हो जाने के कारण उन्हें तलब किये जाने की कोई विधिक अनिवार्यता नहीं थी। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 मीठालाल के सन्दर्भ में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर नारायणलाल द्वारा किये गये विक्रय पत्र की पुष्टि होने के आधार पर प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष में नारायणलाल के 1/4 हिस्से के विक्रय को मानते हुए अतिरिक्त सावधानी रखते हुए हालांकि तत्कालीन विक्रय 100/– रूपये से कम का है, फिर भी मुत्रांक राशि जमा कराते हुए विक्रय पत्र किये जाने के आधार पर प्रतिवादी संख्या 3 मीठालाल का काउण्टर क्लेम स्वीकार किया है।

प्रकरण में हालांकि अपीलान्ट का प्रमुख उजर यह है कि उन्हें सूचित नहीं किया गया है एवं सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है, परन्तु आदेश 22 नियम 4 (4) के तहत उन्हें सुनने की अथवा सूचित किये जाने की कोई उपादेयता नहीं है, क्योंकि उनके पूर्वज नारायणलाल के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की जा चुकी थी। प्रकरण में वकील रेस्पोन्डेन्ट श्री महेश भट्ट द्वारा धारा 99 जा.दी. की आरे भी हमारा ध्यान आकृष्ट किया जो निम्नानुसार है :–

''**कोई भी डिक्री ऐसी गलती या अनियमितता के कारण जिससे गुणावगुण या अधिकारिता पर प्रभाव नहीं पड़ता है न तो उलटी जायेगी और**

न उपान्तरित की जायेगी – पक्षकारों या वाद हेतुकों के ऐसे कुसंयोजन के या वाद की किन्हीं भी कार्यवाहियों में ऐसी गलती, त्रुटि या अनियमितता के कारण जिससे मामले के गुणावगुण या न्यायालय की अधिकारिता पर प्रभाव नहीं पड़ता है कोई भी डिक्री अपील में न तो उलटी जायेगी और न ही उसमें सारभूत फेरफार किया जायेगा और न मामला अपील में प्रतिप्रेषित किया जायेगा।''

प्रकरण में अपीलान्ट का यह उजर भी है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्यों का विवेचन नहीं किया गया है, यह इस प्रकरण में मान्यता नहीं रखता है। अपीलान्ट द्वारा कहीं प्रभावी रूप से यह प्रमाणित नहीं कराया गया है कि उक्त भूमि का विक्रय उनके पूर्वज द्वारा नहीं किया गया हो। तद्नुसार हम प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा लिये गये उजरात के आधार पर अपील पोषणीय नहीं पाते हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उपलब्ध साक्ष्यों का विवेचन करते हुए जो निर्णय पारित किया गया है उसमें हम प्रथम दृष्टया किसी प्रकार की तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

उपरोक्तानुसार अपील अपीलान्ट सारहीन होने खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 22–01–2018 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 24–10–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

भगवतीलाल पिता नारायणलाल ब्राहमण निवासी भीण्डर, तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर व अन्य बनाम **वरदीशंकर उर्फ वरदीचन्द पिता मोहनलाल ब्राहमण, नि. भीण्डर त. भीण्डर, जि. उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**32 / 2018**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**वल्लभनगर**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**22**.....माह.....**01**.....**2018**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**24**.....माह.....**10**.....सन् **2018** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री संजय कोठारी**.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री महेश भट्ट**.....

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 22–01–2018 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....)..... रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**24**.....माह.....**10**.....**2018** को जारी किया गया ।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।